उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-94/2019/995/92-2-19-20जॉच/2018

लखनऊ:: दिनांक 16 अगस्त 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद अमेठी के कार्यकाल में कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहने, शासकीय कार्यो के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने व उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने हेतु प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-74/2018/884/92-2-18-20जांच/ 2018, दिनांक 10-07-2018 द्वारा श्री वीरेन्द्र कुमार, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-इलाहाबाद के पत्र सं0-1365/ग्रा0अ0वि0/जांच-सुलतानपुर/18-19 दिनांक 01-11-2018 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कुल 02 आरोप में से आरोप सं0-2 स्थापित नही बताया गया तथा आरोप सं0-1 आंशिक रूप से स्थापित बताया गया। जांच अधिकारी की जांच आख्या में आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप सं0-1 के संबंध में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी, श्री वीरेन्द्र कुमार से शासन के पत्र सं0-2868/92-2-18-20जांच/2018 दि0 04-12-2018 तथा अनुस्मारक पत्र दि0 16-01-2019 व 11-03-2019 द्वारा अपचारी अधिकारी से अभ्यावेदन मांगा गया। अपचारी अधिकारी के पत्र दिनांक 09-04-2019 द्वारा अपना अपना बचाव उत्तर उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी पर आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप सं0-1 के क्रम में विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

आरोप सं0-1

मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा अपने कार्यालय पत्र दि0 08-01-2018 द्वारा प्राविधिक परीक्षक के अंतर्गत दिनांक 27-12-2017 को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-अमेठी के कार्यो का निरीक्षण के दौरान मुख्य प्राविधिक परीक्षक द्वारा जनपद के अंतर्गत निर्माणाधीन मार्गो एवं भवनों के कार्यो के संबंध में कतिपय तकनीकी बिन्दुओं पर पूछताछ करने पर आपको किसी भी निर्माण कार्यो के संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सके। इस प्रकार आप द्वारा उच्चाधिकारियों के प्रति उदासीनता अकर्मण्य व्यवहार से स्पष्ट है कि आपको कर्मचारी आचरण नियमावली का भी ज्ञान नही है तथा आपका उक्त दूषित कार्य प्रणाली शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता तथा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के लिये उ0प्र0 सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3 सामान्य (1) (2) का उल्लंघन करने के लिये आप उत्तरदायी पाये जाते है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

आरोप सं0-1 के क्रम में अवगत कराना है कि उनके ऊपर लगाया गया आरोप सं0-1 उन्हें स्वीकार नही है। मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा दि0 27-12-2017 को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी के कार्यो का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय उनके अतिरिक्त 03 अन्य अवर अभियंताओं श्री आलोक यादव, श्री उमेश कुमार, श्री आर0के0 सोनकर भी उपस्थित थे।

मुख्य प्राविधिक परीक्षक महोदय द्वारा निर्माण कार्यो के परिप्रेक्ष्य में उनसे जो भी प्रश्न किये गये थे, तत्समय उनके द्वारा उक्त अवर अभियंताओं की उपस्थिति में अपनी जानकारी के अनुसार सही तथ्यों से उन्हें अवगत कराया गया था, जिससे वो सहमत भी थे जिसकी पुष्टि मुख्य प्राविधिक परीक्षक महोदय के निरीक्षण के समय उपस्थित तीनों अवर अभियंताओं के लिखित बयान से स्वमेव स्पष्ट होती है। जहॉ तक कर्मचारी आचरण नियमावली 1999 के नियम-7 के उल्लंघन का प्रश्न है, इस संबंध में महोदय को अवगत कराना है कि उनके द्वारा उपरोक्त वर्णित नियमावली में निहित किसी भी निर्देश का कोई भी उल्लंघन नहीं किया गया है। उच्चाधिकारियों के साथ हमेशा उनका कार्य एवं व्यवहार सराहनीय रहा है तथा कभी कोई शिकायत नहीं मिली है जैसा कि उनकी चरित्र प्रविष्टि व अन्य सेवा संबंधित अभिलेखों से विदित होता है। इस प्रकार उनके ऊपर लगाया गया आरोप सं0-1 पूर्णतया बेबुनियाद एवं असत्य है। अतएव कृपया उन्हें इस आरोप से दोषमुक्त करने की कृपा करें।

<u>जांच अधिकारी की विवेचना</u>

मुख्य प्राविधिक परीक्षक द्वारा दि0 27-12-2018 को जनपद अमेठी के कार्यो का निरीक्षण के समय तकनीकी बिन्दुओं पर जानकारी समुचित रूप से न दिये जाने एवं उच्चधिकारियों के प्रित अकर्मण्यता का व्यवहार करने हेतु अपचारी अधिकारी को आरोपित किया गया है। अपचारी अधिकारी के प्रतिउत्तर में उल्लेख किया गया है कि मुख्य प्राविधिक परीक्षक द्वारा दि0 27-12-18 को जनपद अमेठी के कार्यो का निरीक्षण के दौरान साथ में संबंधित 03 अवर अभियंताओं का लिखित बयान संलग्न किया गया है। अपचारी अधिकारी के प्रतिउत्तर के साथ संलग्न 03 अवर अभियंताओं के बयान से स्पष्ट है कि निरीक्षण के समय अपचारी अधिकारी का उत्तर संतोषजनक रहा होगा। अपचारी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय मुख्य प्राविधिक परीक्षक को तकनीकी जानकारी देने में कहीं न कहीं उत्तर असंतोष परिलक्षित रहा है, जिससे अपचारी अधिकारी पर उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने हेतु आंशिक रूप से दोषी है।

<u>जांच अधिकारी का निष्कर्ष</u>

अत: अपचारी अधिकारी पर उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना हेतु आरोप सं0-1 आंशिक रूप से स्थापित होता है।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन</u>

श्री वीरेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 27-12-2017 को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रखण्ड में कुल 06 कार्यो का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के समय उनके अतिरिक्त 03 अन्य अवर अभियंता, श्री आलोक यादव, श्री उमेश कुमार, श्री आर0के0 सोनकर भी उपस्थित थे। निरीक्षण किये गये कुल 06 कार्यो में से 04 कार्य उनके द्वारा सम्पादित कराये गये थे एवं शेष 02 कार्य जो कि विकास खण्ड जामों में आते है जो कि पूर्व में कार्यरत सहायक अभियंता, श्री राजकुमार पाण्डेय जी द्वारा सम्पन्न कराये गये थे, जो माह जून 2017 को सेवानिवृत्त हो चुके थे, द्वारा सम्पादित कराये गये थे। मुख्य प्राविधिक परीक्षक द्वारा सभी निर्माण कार्यो के परिप्रेक्ष्य में उनसे जो भी प्रश्न किये गये थे तत्समय उनके द्वारा उक्त अवर अभियंताओं की उपस्थिति में अपनी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जानकारी के अनुसार सही तथ्यों से उन्हें अवगत कराया गया था जिससे वो सहमत भी थे, जिसकी पुष्टि मुख्य प्राविधिक परीक्षक महोदय के निरीक्षण के समय उपस्थित तीनों अवर अभियंताओं के लिखित बयान से स्वमेव स्पष्ट होती है।

साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-इलाहाबाद द्वारा भी अपनी समीक्षा में कहा गया है कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-इलाहाबाद द्वारा भी अपनी समीक्षा में कहा गया है कि "अपचारी अधिकारी के प्रतिउत्तर के साथ संलग्न 03 अवर अभियंताओं के बयान से स्पष्ट है कि निरीक्षण के समय अपचारी अधिकारी का उत्तर संतोषजनक रहा होगा।"

यह भी अवगत कराया गया है कि दो कार्यो को जो कि उनके द्वारा नहीं कराये गये थे एवं विकास खण्ड जामों में आते हैं उनके द्वारा उक्त संबंधित कार्यो के संबंध में भी अपनी जानकारी के अनुसार मुख्य प्राविधिक परीक्षक महोदय को संतोषजनक उत्तर दिये गये थे। निरीक्षण के समय उक्त उत्तर पर मुख्य प्राविधिक परीक्षक महोदय द्वारा असंतुष्टि व्यक्त की गयी थी जो उनके द्वारा नहीं कराया गया था। अत: उक्त कार्य की वास्तविक स्थिति से पूर्ण रूपेण अवगत कराना उनके द्वारा संभव नही था। उनके द्वारा कार्यो के प्रति पूर्णरूपेण सच्चाई ईमानदारी एवं शुद्धता का परिचय दिया जाता है तथा सदा प्रशासकीय शिष्टता के घेरे में रहा जाता है एवं अपने कर्तव्य के प्रति पूर्णत: समर्पित समर्पित रहे एवं उनका कार्य एवं व्यवहार उच्चाधिकारियों के प्रति सदा सराहनीय रहा है तथा कभी कोई शिकायत नहीं मिली है जैसा कि उनकी चरित्र प्राविष्टि व अन्य सेवा संबंधित अभिलेखों से विदित होता है।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा दिनांक 27-12-2017 को प्रखण्ड-अमेठी के कार्यो के निरीक्षण के समय उनके द्वारा अपचारी अधिकारी, श्री वीरेन्द्र कुमार से पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दिये जाने के समय किया गया आचरण एवं शिष्टाचार संयमित/शिष्ट न होने के दृष्टिगत श्री वीरेन्द्र कुमार, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी सम्प्रति प्रखण्ड-फिरोजाबाद के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10-07-2018 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें निम्नवत दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

"जनपद अमेठी के कार्यकाल में मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निरीक्षण दिनांक 27-12-2017 में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दिये जाने के समय संयमित/शिष्ट आचरण न किये जाने के लिये श्री वीरेन्द्र कुमार, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी सम्प्रति प्रखण्ड-फिरोजाबाद को वर्ष 2018-19 के लिये **परिनिन्दित** किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-94/2019/995(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री वीरेन्द्र कुमार, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अमेठी सम्प्रति प्रखण्ड-फिरोजाबाद द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।